

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल

क्रमांक एफ 8-5/2020/नियम/चार

भोपाल दिनांक 25 मार्च 2021

प्रति

शासन के समस्त विभाग  
अध्यक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर  
समस्त संभागीय आयुक्त  
समस्त विभागाध्यक्ष  
समस्त जिलाधीश मध्यप्रदेश ।

विषय :- मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत वेतन निर्धारण पश्चात एरियर्स का भुगतान ।


संदर्भ :- वित्त विभाग का पत्र क्र.एफ 8-5/2020/नियम/चार दिनांक 16 मार्च 2021

00

विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश से समस्त शासकीय सेवकों को सातवे वेतनमान के एरियर्स की तृतीय व अंतिम किश्त की शेष राशि 75 प्रतिशत नियमानुसार कटौती पश्चात नगद भुगतान तत्काल किये जाने के लिये सभी अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देश जारी किये गये हैं ।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ आहरण संवितरण अधिकारियों को उक्त एरियर्स का भुगतान यथासंभव 31 मार्च 2021 तक किया जाना सुनिश्चित करने हेतु उचित निर्देश देने का कष्ट करे ।

(प्रमुख सचिव वित्त द्वारा अनुमोदित)

  
(अखिल कुमार वर्मा)

उप सचिव

म0प्र0शासन वित्त विभाग

पृष्ठा0 एफ 8-5/2020/नियम/चार

भोपाल दिनांक 25 मार्च 2021

प्रतिलिपि:-

1. मान0 वित्त मंत्रीजी के निज सहायक की ओर सूचनार्थ ।
2. प्रमुख सचिव वित्त के निज सचिव की ओर सूचनार्थ ।
3. प्रमुख सचिव वित्त (श्री बामरा) के निज सचिव की ओर सूचनार्थ ।

उप सचिव

म0प्र0शासन वित्त विभाग

Rule-1